

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 144] No. 144] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फालान 9, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 177(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

- 1. (1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2017 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 में—
- (क) नियम 12 में, उप-नियम (6क) में "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों के पश्चात "निर्यात उन्मुख इकाइयों" शब्द अन्त: स्थापित किए जाएंगे;
- (ख) अनुसूची III में, भाग ख में, ख3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट
	पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट"

- (ग) अनुसूची VI में, बेसल संख्या ख3010 के समक्ष और कॉलम (2) में इसके तत्स्थानी प्रविष्टियों में,—
 - (i) "पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट" शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - (ii) टिप्पणी में, "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों के पश्चात, "निर्यात उन्मुख इकाइयों" शब्द अन्त: स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

1135 GI/2017 (1)

टिप्पणी.- मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खंड (i) में सा.का.नि.395 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 670 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

- **G.S.R.** 177(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:—
- 1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016,—
 - (a) in rule 12, in sub-rule (6A), after the words "Special Economic Zones", the words, "and Export Oriented Units", shall be inserted;
 - (b) in Schedule III, in Part B, after B3 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

"B3010	Solid plastic waste
	Polymethyl methacrylate".

- (c) in Schedule VI, against Basel Number B3010 and its corresponding entries in column (2),-
 - (i) the words "polymethyl methacrylate" shall be omitted;
 - (ii) in the Note, after the words "special economic zones", the words "and export oriented units" shall be inserted.

[F. No. 23-16/2009-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number GSR 395 (E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended vide GSR 670 (E) dated the 6th July, 2016.